

प्रपत्र क्रमांक – तेरह

प्ररूप – ख में प्राप्त दावे के संबंध में सत्यापन प्रतिवेदन और संकल्प का मार्गदर्शी नमूना

नोट. – यह फार्म ग्राम सभा द्वारा अपने स्वयं के सामुदायिक अधिकार के दावे के लिये लागू नहीं है। यह केवल चारागाही / यायावरी समुदायों और प्राचीन जनजाति समूहों / कृषि पूर्व समुदायों की ओर से प्रस्तुत सामुदायिक दावों के सत्यापन के लिये लागू है।

भाग – १ : दावे के संबंध में वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन (निष्कर्ष)

१. दावेदार समूह / समुदाय का नाम : यहाँ पर दावा प्रस्तुत करने वाले चारागाही या घुमक्कड जनजाति समूह या आदिम (प्राचीन) जनजाति या कृषि पूर्व समुदाय का नाम लिखें।
२. सामुदायिक अधिकार और उसके क्षेत्र / सीमा का विवरण :

क्रमांक	अधिकार का विवरण	क्षेत्र / सीमा का विवरण
१.		१. _____

२.		२. _____

३. अधिकार के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण :

(प) _____

(पप) _____

(पपप) _____

४. दावे से संबंधित किसी अधिकार के बाबत वन विभाग की आपत्ति (यदि कोई हो) का विवरण :

५. जांच / सत्यापन रिपोर्ट :- सत्यापन की तारीख : _____

- सत्यापन के समय वन विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का नाव : _____

- सत्यापन के समय दावेदार समुदाय की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों का नाव :

(१) _____ (२) _____

(३) _____ (४) _____

(५) _____ (६) _____

६. दावे की भूमि पर मौजूद भौतिक साक्ष्य (संरचना आदि), यदि कोई हो :

- भूमि का कम्पार्टमेंट / खसरा नंबर : _____

- अधिकार के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र :

अधिवास (भूजपजंजपवद) के अन्तर्गत - हेक्टर

पर्यावास (भूजपजंज) के अन्तर्गत - हेक्टर

- मानचित्र (नक्शा) बनाने और क्षेत्रफल के निर्धारण के लिये अपनाया गया तरीका :

सत्यापन का निष्कर्ष :

तारीख :

.....

.....

(अध्यक्ष)

(सचिव)

वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति

अन्य सामुदायिक दावों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा पारित किये जाने वाले संकल्प का प्ररूप

१. इस दावे के संबंध में ग्राम सभा की बैठक दिनांक में वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन (निष्कर्ष) पर विचार किया गया। बैठक की पूर्व सूचना उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी _____ (पदनाम) को भी दी गई थी। उनकी ओर से –

- कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
- निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :-

वन विभाग की ओर से : _____

उपखण्ड स्तर समिति की ओर से : _____

२. वन अधिकार समिति के निष्कर्ष, दावे के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के कथनों पर विचार करने के पश्चात् निम्नांकित संकल्प पारित किया गया :

- दावा मान्य किया जाता है।
- दावा निम्नांकित संशोधन के साथ मान्य किया जाता है :

- दावा निम्नांकित कारणों से अमान्य किया जाता है :

३. इस संकल्प की सूचना दावेदार समुदाय को दी जाए तथा इसे पूर्ण अभिलेख के साथ, उपखण्ड स्तर की समिति को भेजा जाए।

तारीख :

.....

.....

(अध्यक्ष)

(सचिव)

ग्रामसभा

ग्रामसभा

नोट. – जो लागू न हो उसे काट दें।